भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3328
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन की समय-सीमा का विस्तार

3328. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2025 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत केरल सहित राज्य-वार जारी की गई कुल केंद्रीय निधि का ब्यौरा क्या है;
(ख) जनवरी और दिसंबर, 2025 के बीच किए गए कार्यों का लंबित केंद्रीय प्रतिपूर्ति सहित ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वर्ष 2025 से विभिन्न राज्यों में निधि मिलने में होने वाले विलंब ने जेजेएम के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) जेजेएम की राष्ट्रीय समय-सीमा को दिसंबर, 2028 तक बढ़ाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार अगस्त 2019 से केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सुरक्षित और पर्याप्त नल जल कनेक्शन का प्रावधान किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए जल जीवन मिशन को मंजूरी दी थी। आबंटन निधि के विरूद्ध, उपलब्ध निधि का लगभग पूरा उपयोग कर लिया गया है।

मिशन अवधि के दौरान, केरल राज्य को 7,955.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से राज्य केवल 5,610.31 करोड़ रुपये आहरित करने में सक्षम था। जेजेएम के तहत आहरित

निधियों, केंद्र और राज्य के हिस्से के संसूचित उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे जेजेएम डैशबोर्ड पर निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों में मदद करती है। परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर एक साथ कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अलावा, ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों का परियोजना-वार ब्यौरा राज्य सरकार के स्तर पर रखा जाता है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदायगी के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव (ओएण्डएम) पर ध्यान देने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जेजेएम को 2028 तक विस्तार दिए जाने की घोषणा की थी।

***